विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (ग्रामीण)

सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर (छ.ग.) 492009

Email Id :- ecgrf.raipur@cspc.co.in, Phone No. 0771-2593112

क्रमांक / विउशिनिफोरा / 2026 / 42 रायपुर, दिनांक 27 MAY 2026

प्रति,

1. श्रीमति सुमित्रा देवी बैरागी एवं अन्य,
   ग्राम अनसुला, पो.आ. रीकोकला, सांकरा (जोंक),
   वि.ख. पिथौरा, जिला महासमुन्द (छ.ग.) 492112
   मो.नं. : 6263045104, 9009177074

2. कार्यपालन अभियंता (संचा / संधा) संभाग,
   छ0स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., पिथौरा (छ.ग.)

3. कार्यपालन अभियंता (प्रोजेक्ट), छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि.,
   महासमुन्द (छ.ग.)

विषय :– प्रकरण क्रमांक / 12 / रायपुर(ग्रा.) / 2026 पर पारित आदेश ।

=0000=

विषयान्तर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर ग्रामीण द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(अशोक खण्डेलवाल)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, रायपुर (ग्रामीण)

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता (संचा / संधा) वृत्त, छ0स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., महासमुंद (छ.ग.)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (ग्रामीण)
सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर

विषयः– विद्युत प्रदान करने हेतु दिये गये कार्यादेश को निरस्त कर एग्रीमेंट की राशि वापस करने बाबत् ।

प्रकरण क्रमांक / 12 / रायपुर(ग्रा.) / 2026

श्रीमति सुमित्रा देवी बैरागी एवं अन्य, ...आवेदिका
ग्राम अनसुला, पो.आ. रीकोकला, सांकरा (जोंक),
वि.ख. पिथौरा, जिला महासमुन्द (छ.ग.) 492112
मो.नं. : 6263045104, 9009177074

विरूद्ध

1. कार्यपालन अभियंता (संचा / संधा) संभाग, ...उत्तरवादीगण
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., पिथौरा (छ.ग.)
2. कार्यपालन अभियंता (प्रोजेक्ट), छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., महासमुन्द (छ.ग.)

निर्णय

(दिनांक 27 / 05 / 2026 को घोषित)

1. आवेदिका श्रीमति सुमित्रा देवी बैरागी द्वारा प्रस्तुत मूल शिकायत दिनांक 04.05.2026 यह है कि "निवेदन है कि हम चार किसानों स्व. शोभाराम साहू (दिनांक 25.03.2026 को मृत आवेदन के समय जीवित थे) श्रीमती सुमित्रा देवी वैष्णव, श्री प्रेमलाल सेठ तथा खिरोद लाल उड़सेना इस प्रकार चार ने विद्युत प्रदान करने के लिये नियमानुसार विभाग से निवेदन किया था । विभाग द्वारा आवेदन स्वीकृत होने पर दिनांक 19.03.2023 को एक मुश्त एग्रीमेंट की राशि जमा की । शासन द्वारा विलम्ब से आबंटन मिलने से कार्यादेश पिछले चार माह पूर्व पारित हुआ, कार्य के लिये ठेकेदार के तीन कर्मी आये । विद्युत पोल आये, पोलों को यथा स्थान पहुँचाने के लिये हमसे सहयोग मांगा । हमने मात्र एक पोल को छोड़कर सभी पोलों को 1 कि0मी0 दूर से लाकर यथा स्थान पहुँचाया । पोलों को गड़ाते समय भी यथा संभव योगदान दिया, उनके भोजन की व्यवस्था भी की गई । काम चलता रहा दो–तीन दिन में कार्य पूरे होने की बात कही गई । किन्तु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है एक रात तीनों कामगार गांव के शराब कोचिया की दुकान में गये, वही से आदेश दिया आप चारों किसान अनिवार्य रूप

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)

से हमारे पास आये । वहॉं जाकर हमने देखा वे शराब की नशे में थे, उनका मुखिया राकेश साहू ने आदेश दिया चार हजार रू0 खर्च हुए है । उसे पटाओ नही तो आप लोगों का कोई काम नहीं होगा, भुगतो तभी समझोगे, हम समझ रहे थे नशे में बोल दिये दूसरे दिन आये और सभी समान उठा ले गये, जाते जाते कहा जाओ तु लोगों का कोई काम नहीं होने वाला है कही भी जाओ, हमें कोई चिन्ता नही । तब से लगभग चार माह बीत रहे है कोई काम नहीं हो रहा है, विशेष बात यह है हमारे आत्म सम्मान को तरह तरह से ठेस पहुॅंचाया जा रहा है । ऐसी स्थिति में हम काम कराना नहीं चाहते, हमारे नाम से जारी कार्यादेश को निरस्त करते हुए एग्रीमेन्ट की राशि वापस दिलाई जाने की कृपा हो । विभाग से ज्ञात हुआ है कि ठेकेदार का नाम आई.पी. पटेल है हमे किसी से विवाद करने की क्षमता नहीं है, कार्य न हम सहर्ष सहमत है । "

2. यह कि उत्तरवादी कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग, छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., पिथौरा ने अपने जवाबदावा पत्र क्रमांक 332 दिनांक 18.05.2026 को सूचित किया है कि :–

(i) यह कि आवेदक श्रीमती सुमित्रा बैरागी (वैष्णव) एवं अन्य 03 कृषक द्वारा कृषि पंप विस्तार कार्य हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया था । जिसका प्राक्कलन क्रमांक 78–036–5346–23–0124 दिनांक 13.03.2024 को स्वीकृत होने के उपरांत आवेदकों के द्वारा डिमांड राशि का भुगतान दिनांक 21.03.2024 किया गया । जिसका कार्यादेश क्रमांक 1712 दिनांक 17.09.2024 है ।

(ii) यह कि छ.ग. शासन द्वारा वर्ष 2025–26 में कृषि पंप उर्जीकृत करने का लक्ष्य माह नवम्बर 2025 में जारी किया जिसमें इन कृषकों का नाम शामिल होने पर निविदा की प्रक्रिया कार्यपालन अभियंता (परियोजना), छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि., महासमुन्द के द्वारा पूर्ण कर कार्यादेश मेसर्स आई.पी. पटेल ग्राम भौरादादर जिला महासमुन्द को जारी किया गया, जिसका आदेश क्रमांक 1148 दिनांक 09.01.2026 है ।

(iii) यह कि अधीनस्थ उपसंभाग, सांकरा के प्रभारी अधिकारी द्वारा जानकारी दिया गया है कि आवेदिका श्रीमती सुवित्रा बैरागी एवं अन्य कृषक निवासी ग्राम अनसुला द्वारा कृषि पंप विस्तार कार्य अपूर्ण होने के संबंध में जो शिकायत प्रस्तुत की गई थी, उस पर त्वरित संज्ञान लिया गया है ।

(iv) यह कि अधीनस्थ सहायक अभियंता (उपसंभाग) सांकरा द्वारा जानकारी दी गयी है कि उक्त स्थल पर लाईन विस्तार का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है

राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)

एवं वर्तमान में 11 के.व्ही. लाईन का कार्य पूर्ण हो चुका है, एलटी लाईन विस्तार का कार्य प्रगति पर है एवं ट्रांसफार्मर लगाकर उपभोक्ताओं के लाईन को एक सप्ताह में चालू (ऊर्जीकृत) कर दिया जायेगा । कार्य की प्रगति से उपभोक्ता पूर्ण रूप से सहमत है एवं लाईन विस्तार संबंधी कार्य में सहयोग प्रदान कर रहे है ।

(v) यह कि उक्त निर्माण एवं विस्तार कार्य पूर्ण होने के पश्चात् उपभोक्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित सहमति (संतुष्टि) पत्र माननीय फोरम के समक्ष सादर प्रेषित कर दिया जायेगा ।

फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा रखे गये तथ्यो का विवरण :– दिनांक 20.05.2026 को फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा प्रस्तुत कथनों एवं दस्तावेजो की समीक्षा उपरान्त प्राप्त जानकारी निम्नानुसार है :–

3. यह कि अंसुला, पिथौरा जिला महासमुंद के कृषक शोभाराम साहू, सुमित्रादेवी, प्रेमलाल एवं खिरोदलाल द्वारा अपने अपने खेत स्थित कृषि नलकूप के लिए स्थायी विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु उत्तरवादी के समक्ष सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत किया गया था एवं इस हेतु देय राशि का भुगतान भी दिनांक 19.03.2023 को कर दिया गया । विस्तार कार्य हेतु कार्यादेश जारी किए जाने एवं निविदा प्रक्रिया के बाद संबंधित ठेकेदार के कर्मियों के कहने पर कृषकों के द्वारा पोल को स्थानांतरित करने एवं खडा करने में भी यथासंभव सहयोग किया गया । लेकिन कुछ दिनों के बाद कार्य के बदले अतिरिक्त राशि की मांग करते हुए ठेकेदार के कर्मी लाईन सामग्री वापस लेकर चले गए एवं फिर वापस नहीं आए । विगत चार महीनों से कार्य में कोई प्रगति नहीं है । आवेदकों द्वारा कार्य नहीं होने की स्थिति में उनकी जमा की गयी राशि को वापस किए जाने एवं कार्यादेश निरस्त किए जाने की मांग की गयी है ।

4. अपने कृषि पंप के स्थायी विद्युत कनेक्शन के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण किए जाने पर भी उत्तरवादी द्वारा विस्तार कार्य न किए जाने, ठेकेदार के कर्मियों द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग किए जाने से क्षुब्ध होकर एवं अविलंब विस्तार कार्य पूर्ण करते हुए स्थायी कनेक्शन प्रदान किए जाने अन्यथा इस हेतु जमा राशि वापस किए जाने की मांग करते हुए आवेदकों द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में प्रकरण प्रस्तुत किया गया है ।

5. यह कि उत्तरवादी द्वारा पत्र कमांक 332 दिनांक 18.05.2026 के माध्यम से प्रेषित अपने जवाबदावा में लेख किया गया है कि कृषि पंप के स्थायी कनेक्शन हेतु आवेदकों का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था एवं इस हेतु

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)

आवश्यक डिमांड राशि का भुगतान भी दिनांक 21.03.2024 को कर दिया गया था । विस्तार कार्य हेतु कार्यादेश दिनांक 17.09.2024 को जारी किया गया । राज्य शासन द्वारा वर्ष 2025–26 के लिए जारी लक्ष्य सूची में आवेदकों का नाम शामिल होने पर निविदा प्रक्रिया पूर्ण की गयी एवं ठेकेदार मेसर्स आई.पी. पटेल को कार्यादेश दिनांक 09.01.2026 को जारी किया गया ।

आवेदकों द्वारा फोरम के समक्ष की गयी, लाईन विस्तार कार्य पूर्ण न किए जाने संबंधी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए तत्काल लाईन विस्तार का कार्य पुनः प्रारंभ कर दिया गया है । वर्तमान में 11 के.व्ही. लाईन का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा एल.टी. लाईन का कार्य प्रगति पर है । एक सप्ताह की अवधि में ट्रांसफार्मर लगाकर कार्य पूर्ण कर दिया जावेगा ।

6. यह कि दिनांक 20.05.2026 को फोरम के समक्ष सुनवाई के दौरान आवेदिका अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए । दूरभाष के माध्यम से आवेदिका प्रतिनिधि से संपर्क किए जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि उनके कृषि पंप के स्थायी विद्युत कनेक्शन के लिए आवश्यक लाईन विस्तार का कार्य प्रगति पर है । विस्तार कार्य पूर्ण होने एवं स्थायी कनेक्शन प्राप्त होने से उनके द्वारा की गयी शिकायत का पूर्ण समाधान हो जाएगा । चूंकि उत्तरवादी द्वारा उनकी शिकायत के समाधान की कार्यवाही की जा रही है अतः वे फोरम से इस संबंध में अन्य कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं ।

उत्तरवादी द्वारा भी दूरभाष पर बताया गया कि आवेदकों के स्थायी विद्युत कनेक्शन के लिए लाईन विस्तार का कार्य प्रगति पर है एवं जल्द ही कार्य पूर्ण करते हुए आवेदकों को स्थायी विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा ।

7. यह कि आवेदिका सुमित्रा देवी एवं अन्य के द्वारा फोरम को पत्र दिनांक 23.05.2025 प्रेषित करते हुए यह लेख किया गया है कि पूर्व में फोरम के समक्ष की गयी उनकी शिकायत के तारतम्य में उत्तरवादी द्वारा दिनांक 20.05.2026 को उनके स्थायी कृषि पंप कनेक्शन हेतु लाईन विस्तार कार्य पूर्ण कर दिया गया है जिससे वे संतुष्ट हैं एवं विभाग से उन्हें किसी प्रकार की शिकायत नहीं है । आवेदकों द्वारा प्रकरण को निराकृत माना जाकर नस्तीबद्ध किए जाने का लेख किया गया है ।

8. यह कि उत्तरवादी द्वारा आवेदकों के कृषि पंप हेतु स्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए आवश्यक लाईन विस्तार पूर्ण कर दिया गया है एवं

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
रायपुर (ग्रामीण)

आवेद्रकों की शिकायत का निराकरण कर दिया गया है । आवेदकों द्वारा भी उत्तरवादी की इस कार्यवाही से संतुष्टि व्यक्त की गयी है, अतः फोरम के मतानुसार इसे प्रकरण में किसी अन्य प्रकार की कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता शेष नहीं है ।

9. आदेश पारित ।

10. प्रकरण निराकृत ।

11. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो 45 दिन के अंदर विद्युत लोकपाल में अपील कर सकता है ।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया । निर्णय घोषित किया गया

(अशोक खण्डेलवाल)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)